

"खाता दुरुस्ती आवेदन-पत्र"
(राज. भू. राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136)

प्रपत्र-6

2022/25

सेवामें,

श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी महोदय,
शाहपुरा

प्रशासन गोंदों के संग
अभियान - 2021

विषय:- राजस्व रिकॉर्ड में दुरुस्ती के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि ग्राम खजूरवाड़ा की
जमाबन्दी सम्वत् 2026 से 2027 के खाता संख्या 713
में मरा नाम सय्याजी का नाम सय्याजी का नाम सय्याजी है,
जबकि सही नाम सय्याजी पति रामलाल कर्जत है
अतः उक्त दुरुस्ती किये जाने के आदेश फरमाने की कृपा करें।

दिनांक:-

प्रार्थी

रिपोर्ट-पटवारी एवं भूअ.नि.

महोदयजी,

निवेदन है कि ग्राम खजूरवाड़ा के राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी सम्वत् 2026 से सय्याजी के
खाता संख्या 713 में प्रार्थी का नाम सय्याजी वर्ज है। जबकि मुताबिक संलग्न
सय्याजी व जानकारी के अनुसार खातेदार का सही नाम सय्याजी है। जो संशोधित किया
जाना उचित है।

अतः रिपोर्ट श्रीमान् की सेवा में पेश है।

भूअ.नि. सय्याजी

पटवारी सय्याजी

रिपोर्ट तहसीलदार/नायब तहसीलदार

प्रार्थी द्वारा रा0भू0राज0 अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर
राजस्व रिकॉर्ड में स्वयं का/पिता नाम दुरुस्त करवाने हेतु निवेदन किया है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र
पर रिपोर्ट पटवारी सय्याजी व भूअ.नि. सय्याजी एवं प्रार्थी द्वारा संलग्न दस्तावेज के आधार पर
ग्राम खजूरवाड़ा की जमाबन्दी सम्वत् 2026 से सय्याजी की खाता संख्या 713 में प्रार्थी का
नाम सय्याजी के बजाय सय्याजी किये जाने हेतु अभिशंषा की जाती है।

तहसीलदार/नायब तहसीलदार
शाहपुरा (भीलवाड़ा)

आदेश

मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार शाहपुरा ग्राम खजूरवाड़ा जमाबन्दी सम्वत् 2026 खाता
संख्या 713 में दर्ज प्रार्थी का नाम सय्याजी के स्थान पर सय्याजी संशोधन के
आदेश दिये जाते हैं।

उपखण्ड अधिकारी
शाहपुरा (भील0)

प्रभारी अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
शाहपुरा (भीलवाड़ा)